

प्रेषक,

एस०एम करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना दिनांक.....14/01/2015

विषय:-

सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-21895/2013 राम नरेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-14 दिनांक 06.01.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित वाद में निर्णय लिये जाने हेतु सी०एन० महाविद्यालय, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर के अंगीभूतिकरण के समय विश्वविद्यालय के साथ हुए एकरारनामा की प्रति/सभी अनुलग्नकों के साथ एवं इस महाविद्यालय के अधिग्रहण के समय विश्वविद्यालय स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय (कन्वर्सन कमिटी) समिति के प्रतिवेदन (सभी अनुलग्नकों सहित) की सत्यापित एवं अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ-2 वादिगणों को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर से भुगतान की गई राशि से संबंधित सभी साक्ष्य यथा वेतन भुगतान पंजी एवं महाविद्यालय के केशबुक एवं बैंक एकाउंट से संबंधित मूल कागजात सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि माननीय उच्च न्यायालय में ससमय विभागीय पक्ष रखा जा सके।

विश्वासभाजन,

*Adarsh
Vaidik*
Waidik
14/01/15
(एस०एम० करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)